

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 810—813

Dated 2-7-2011

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

सा.का.नि. 201.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नयाचार अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में नयाचार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) नयाचार अधिकारी (भर्ती) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|-------------------|---|--|--|---------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| नयाचार अधिकारी | 1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचितव्यय | वेतन बैंड-2 9300— 34800 रु. + (ग्रेड वेतन, 4600 रु.) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रतिनियुक्ति या आमेलन

प्रतिनियुक्ति या आमेलन :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और
(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :—
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री;
(ii) नयाचार और/या जन संपर्क कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले (उस नोटिस में जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

आमेलन के आधार पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए-12018/2/2009-ई. 1]

ललित कुमार शर्मा, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2011

G.S.R. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Protocol Officer Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the posts of Protocol Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) Protocol Officer (Recruitment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who had entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Pay Band and Grade Pay/Pay Scale | Whether Selection post or Non-selection post | Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits |
|------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Protocol Officer | 1* (2011) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial | Pay Band-2 (Rs. 9300—34800)+ Grade Pay Rs. 4600 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
| (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | |
|---|---|
| Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|---|

| | |
|------|------|
| (11) | (12) |
|------|------|

Deputation or Absorption

Deputation or Absorption :

Officers under the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts in the parent cadre or department;
OR

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular in posts in Pay Band-2 Rs. 9300—34800 + Grade Pay Rs. 4200; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :—

(i) Bachelor's Degree of a recognised University;

(ii) Two years experience of protocol and/or public relations work.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointing an officer on absorption basis.

[No. A-12018/2/2009-E-1]

L. K. SHARMA, Under Secy.